राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 446/2017/आबकारी/जयपुर.

आशीष मेंघाणी एम.डी. होटल अनोखी पैलेस,
सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्रीनगर, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर.
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक एवं
श्री गिरवर शर्मा,
सहायक आबकारी अधिकारी, अजमेर .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/09/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी आशीष मेंघाणी एम.डी. होटल अनोखी पैलेस, शास्त्री नगर, जयपुर द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प.38(ए)( )पी/हो.बा./आब/2016/492 आदेश दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आबकारी आयुक्त ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लाईसेंस फीस व अन्य जमा करवाई गई कुल राशि रूपये 8,50,000/– को जब्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये होटल होटल अनोखी पैलेस (ए यूनिट ऑफ अथिना इन प्रा0 लिमिटेड) जी–61–64, सुभाषनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर में बार लाईसेंस हेतु आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के समक्ष आवेदन किया गया एवं इस हेतु वांछित दस्तावेज एवं आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा दिये गये ई–चालान से रूपये 9,35,010/– एस.बी.बी.जे., तिलक मार्ग, जयपुर में दिनांक 09.03.2015 को जमा करवाय गये। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दुकान संख्या जी– 61 से जी–64 के लिये जारी आवंटन पत्रों एवं सम्पत्ति के अन्य दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी। साथ ही अपीलार्थी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष नगर निगम जयपुर द्वारा जारी होटल–रेस्ट्रों सम्बन्धी अनुज्ञा–पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गयी।

लगातार.....2

3. तत्पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 19.06.2015, 26.08.2015, 16.09.2015 एवं 09.10.2015 लिखते हुए होटल प्रयोजनार्थ स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति चाही गयी, जबकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटित दुकानों के आवंटन–पत्र मय नक्शे की प्रति के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। इस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.07.2016 को जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपना आवेदन विद्ड्रॉ करने एवं जमा राशि पुनः लौटाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र दिनांक 21.9.2016 होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र को निरस्त करते हुए रिफण्ड सम्भव नहीं होने बाबत अंकन किया गया। इस पर अपीलार्थी द्वारा उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि रिफण्ड किये जाने हेतु आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 17.01.2017 को आवेदन किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2017 पारित करते हुए अंकित किया गया कि जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा बार–बार लिखे जाने के उपरान्त भी आवेदक होटल बार अनुज्ञापत्र हेतु वांछित होटल प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदन निरस्त किया गया है, अतः जमा करवाई गई राशि रिफण्ड योग्य नहीं है। साथ ही आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई लाईसेंस फीस की राशि रूपये 7,50,000/– एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की राशि रूपये 1,00,000/– कुल रूपये 8,50,000/– भी जब्त किये गये। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ वांछित सभी दस्तावेज यथा जयपुर विकास प्राधिकारी द्वारा दुकानों हेतु आवंटित आवंटन–पत्र, भवन निर्माण मानचित्र, नगर निगम जयपुर द्वारा जारी होटल व्यावसाय का अनुज्ञापत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज मय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिये गये चालान अनुसार जमा राशि रूपये 9,35,010/– के जमा रसीद संलग्न किये गये थे। इसके बावजूद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा होटल प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र की प्रति मांगना पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित था। अपीलार्थी का भवन मानचित्र व्यावसायिक गतिविधियों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत था, व्यावसायिक प्रयोजनों में होटल व्यवसाय भी सम्मिलित है,

लगातार.....3

इस बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को पत्र दिनांक 03.07.2015 भी लिखा गया है, जिसमें व्यावसायिक भूखण्ड पर मिश्रित भू–उपयोग (वाणिज्यिक + ग्रुप हाउसिंग + होटल/मल्टीप्लेक्स/कार्यालय/एन्टरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स) शामिल हैं। इसके बावजूद होटल व्यवसाय हेतु भवन मानचित्र की मांग करने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र ही विद्ड्रॉ करने बाबत निवेदन कर दिया गया। प्रकरण में अपीलार्थी का कोई दोष प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि पुनः लौटाये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1380/2015 रोहित ततेरवाल पुत्र श्री गोपीचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2015; एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 18929/2015 आबकारी आयुक्त राजस्थान बनाम योगेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री राकेश कुमार साहू में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2017;** माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 570/2015/अजमेर योगेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री राकेश कुमार साहू बनाम आबकारी आयुक्त, राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2015 तथा अपील संख्या 677/2015/अजमेर पवन गोयल पुत्र श्री कैलाशचन्द्र गोयल बनाम आबकारी आयुक्त, राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2015** की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार किये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा जमा राशि मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बार–बार होटल व्यवसाय हेतु स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखे जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा स्वैच्छा से अपना आवेदन विद्ड्रॉ किये जाने का निवेदन किये जाने के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार की आबकारी नीति 2015–16 के अनुसार होटल बार लाईसेंस हेतु सक्षम प्राधिकारी से होटल व्यवसाय हेतु भवन मानचित्र स्वीकृत करवाया जाना बाध्यकारी शर्त है, जिसकी पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि जब्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....4

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा होटल व्यवसाय हेतु स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के भूखण्ड संख्या जी–61 से जी–64, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्रीनगर, जयपुर, जिस पर विवादित होटल निर्मित है एवं जिसके लिये होटल बार लाईसेंस के लिये आवेदन किया गया है, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक उपयोग/दुकानों हेतु आवंटित किये गये हैं, जिनके आवंटन पत्र होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये गये थे। इसके साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को पत्र दिनांक 03.07.2015 प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि व्यावसायिक भूखण्ड पर मिश्रित भू–उपयोग (वाणिज्यिक + ग्रुप हाउसिंग + होटल/मल्टीप्लेक्स/कार्यालय/एन्टरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स) अनुज्ञेय होंगे। इसके अतिरिक्त नगर निगम जयपुर द्वारा अपीलार्थी को होटल–रेस्ट्रों हेतु अनुज्ञापत्र क्रमांक 90402651 दिनांक 14.06.2014 भी जारी किया गया है।

8. राज्य सरकार की आबकारी नीति 2015–16, जो दिनांक 01.04.2015 को प्रभाव में आयी है, के अनुसार होटल बार के अनुज्ञापत्र हेतु होटल व्यवसाय हेतु भवन मानचित्र स्वीकृत होना आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा होटल बार लाईसेंस प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.03.2015 को ही राजकोष में राशि जमा करवाकर आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, इस प्रकार उक्त नीति के तहत अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

9. होटल बार लाईसेंस हेतु दिनांक 01.04.2015 से पूर्व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आवश्यक था। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन–पत्र के साथ ही अपनी होटल से सम्बन्धित समस्त वांछित दस्तावेज, जिनके अनुसार अपीलार्थी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकारण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड क्रय किया जाना, उस पर व्यावसायिक निर्माण बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.06.1989 को स्वीकृत मानचित्र की प्रति, नगर निगम द्वारा होटल–रेस्त्रां आदि संचालन का अनुज्ञापत्र, पुलिस सत्यापन आदि दस्तावेजों की प्रतियां एवं वांछित धरोहर राशि जमा कराने के चालान की प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना निर्विवादित है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष होटल बार

लगातार.....5

लाईसेंस हेतु आवेदन किया गया था, जो कि स्वीकृत किये जाने योग्य था, किन्तु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी नीति से बाहर जाकर एक ऐसी कमी इंगित करते हुए जो वास्तव में कमी नहीं थी, अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया गया है।

10. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन–पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा होटल व्यवसाय हेतु स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन के समय इस प्रकार का कोई प्रावधान राज्य सरकार की आबकारी नीति में विहित नहीं था इसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा नक्शा एवं रूपान्तरण आदि भी पेश किये हुए थे, साथ ही इस सन्दर्भ में जयपुर विकास प्राधिकारण का पत्र दिनांक 3.7.2015 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार व्यावसायिक भूखण्ड पर मिश्रित भू–उपयोग (वाणिज्यिक + ग्रुप हाउसिंग + होटल/ मल्टीप्लेक्स/कार्यालय/एन्टरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स) अनुज्ञेय होना बताया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी के स्तर पर किसी प्रकार की कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है, जिसके तहत अपीलार्थी का आवेदन–पत्र निरस्त करते हुए, उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि राजसात कर ली जावे।

11. राजस्थान आबकारी (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंसेज) नियम, 1973 के नियम 3 के स्पष्टीकरण संख्या (5) के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी होटल बार लाईसेंस हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की समीक्षा के उपरान्त आबकारी आयुक्त को अपनी अभ्यर्थना प्रेषित करेगा, तत्पश्चात् आयुक्त द्वारा ही आवेदन स्वीकृत/निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। नियम 3 का स्पष्टीकरण (5) निम्न प्रकार है :–

3. Eligibility and procedure for grant of hotel licence—

(5) Each application shall then be scrutinized by the District Excise Officer with regard to the suitability of the applicant for holding the licence or which application has been made. **Thereafter the District Excise Officer shall forward the application to the Excise Commissioner with his recommendation.** He shall also record a note whether or not the applicant is suffering from any of the disabilities to hold a licence mentioned in sub-rule (8) below.

12. उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी होटल बार लाईसेंस जारी करने हेतु ना तो सक्षम प्राधिकारी हैं, ना ही निरस्त करने हेतु। इस हेतु केवल आयुक्त ही सक्षम हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा स्वयं के स्तर पर आदेश दिनांक 19.03.2016 से

लगातार.....6

अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर होता है। अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण की जाकर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे बिना क्षेत्राधिकार के ही निरस्त किया जाना स्पष्ट रूप से जिला आबकारी अधिकारी की त्रुटि को प्रकट करता है।

13. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा अपीलार्थी द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्र को निरस्त किये जाने एवं इस बाबत् निरन्तर पत्र व्यवहार किये जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा लाईसेंस जारी नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि लौटाने सम्बन्धी आवेदन–पत्र दिनांक 21.07.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में भी रिफण्ड किया जाना सम्भव नहीं बताते हुए पत्र दिनांक 21.09.2016 प्रेषित किया गया है, जो भी स्पष्टतः अविधिक है क्योंकि रिफण्ड किये जाने/निरस्त किये जाने सम्बन्धी समस्त अधिकार आयुक्त को प्रदत्त हैं। इसके पश्चात् पुनः पत्र व्यवहार किये जाने पर प्रकरण आयुक्त को प्रेषित किया गया एवं आयुक्त द्वारा जरिये आदेश दिनांक 03.02.2017 अपीलार्थी द्वारा जमा राशि राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिसमें नियम 6 का हवाला दिया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> "In case an application for licence is not sanctioned and is rejected for no fault on the part of the applicant, the applicant shall be entitled to refund on initial fee paid by him; provided that the application for refund is made within six months of the date of order of rejection."

14. उक्त नियम में रिफण्ड दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। आवेदक के किसी "Fault" के बिना कोई आवेदन निरस्त किया जाता है तो रिफण्ड दिया जावेगा। आयुक्त द्वारा इस नियम का हवाला देते हुए आवेदक का यह "Fault" बताया है कि उसने अनुमोदित नक्शे पेश नहीं किये अतः रिफण्ड नहीं दिया जाता है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध पत्राचार, मानचित्र की प्रति एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र से स्पष्ट है कि मानचित्र पेश था परन्तु बार लाईसेंस नहीं दिया गया एवं आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त किया गया जबकि उन्हें निरस्तीकरण की शक्तियां नहीं थी। इस तरह प्रकरण में प्रार्थी के किसी दोष (Fault) के बिना बार आवेदन अस्वीकार किया गया है अतः उन्हें रिफण्ड दिया जाना विधिक अनिवार्यता है।

लगातार.....7

15. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 03.02.2017 अपास्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा जमा राशि बाद सत्यापन मय ब्याज लौटाई जावे।

16. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य